सत्र परीक्षण सं0– 661/2021
मुकदमा अपराध सं0 – 485/2020
राज्य बनाम अभिषेक कुमार

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, पीलीभीत।

उपस्थित– शिखा प्रधान, एच० जे० एस० (जे0 ओ 0 कोड– UP 6333)

सत्र परीक्षण संख्या– 661/2021

उ 0 प्र 0 राज्य

.............अभियोजन पक्ष।

बनाम

अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत।

....................अभियुक्त।

मु०अ०सं०–485/2020
अंतर्गत धारा–376, 504 व 506 भा०दं०सं०
पुलिस थाना– पूरनपुर
जनपद– पीलीभीत।

राज्य/वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	–	श्री मनोज कुमार मिश्रा
अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	–	श्री शिव शर्मा

निर्णय

1. मुकदमा अपराध संख्या–485/2020, धारा– 376, 504 व 506 भा०दं०सं०, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के प्रकरण से सम्बन्धित सत्र परीक्षण सं०–661/2021 राज्य बनाम अभिषेक कुमार के प्रकरण में अभियुक्त अभिषेक के विरुद्ध धारा– 376, 504 व 506 भा०दं०सं० के अधीन आरोप पत्र संख्या–735/2020, दिनांकित 22.11.2020 पुलिस थाना पूरनपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियुक्त का उक्त आरोप पत्र के परिप्रेक्ष्य में उस पर आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में विचारण किया गया।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय के स्वतः संज्ञान याचिका (आपराधिक) सं०–01/2017 में दिये गये निर्देश दिनांक 20.04.2021 के अनुसार प्रकरण का विवरण प्रारूप "बी" में निम्नवत् है–

अपराध की घटना का दिनांक	–	
अपराध के पंजीकरण का दिनांक	–	22.07.2020
आरोप पत्र प्रेषित करने का दिनांक	–	22.11.2020
आरोप विरचन का दिनांक	–	10.05.2022
अभियुक्त की दलील	–	जुर्म से इन्कार
धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त के बयान	–	24.06.2020
अन्तिम बहस की दिनांक	–	29.06.2026
निर्णय का दिनांक	–	08.07.2026

Digitally signed by SHIKHA PRADHAN
Date: 2026.07.08 16:44:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–प्रार्थिनी उमा पुत्री छुट्ट प्रसाद निवासी ग्राम खिरकिया वरगदिया, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत की वर्ष 2018 मे प्रार्थिनी की मुलाकात अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरायणपुर ज० पूरनपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत से हुई उक्त अभिषेक ने धीरे धीरे अपनी मीठी–मीठी बाते सुनाकर प्रार्थिनी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रार्थिनी के साथ शादी का झासा देकर प्रार्थिनी के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध के विरूद्ध बलात्कार किया। जब प्रार्थिनी विरोध करती थी तब उक्त अभिषेक कहता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा जब प्रार्थिनी ने लगातार शादी का दवाव बनाया तब उक्त अभिषेक टाल–मटोल करने लगा। तभी दिनांक 05.01.2020 को तब प्रार्थिनी ने उक्त अभिषेक से शादी करने के लिये कहा तो उक्त अभिषेक आग चबूला हो गया और गन्दी गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि आइन्दा दुबारा शादी करने के लिये कहा तो तुझे जान से मार दूगा। तब प्रार्थिनी को अहसास हुआ कि उसके साथ धोखा धडी करक उसकी इज्जत से खिलवाड किया गया है इस घटना के सम्बन्ध मे प्रार्थिनी उसी दिन थाना पूरनपुर अपनी रिपोर्ट लिखाने गई परन्तु प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब प्रार्थिनी ने दिनाक 08.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय, पीलीभीत को दिया परन्तु उसपर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई।

4. वादिनी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण की चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–5, मुकदमा अपराध सं0 485/2020, दिनांक 22.07.2020 को समय 10.30 बजे थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत पर अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376, 504 व 506 भा0दं0सं0 में पंजीकृत की गयी। इसके अतिरिक्त पीड़िता के बयान 161 व 164 दं0प्र0सं0 पत्रावली पर उपलब्ध हैं। विवेचक द्वारा विवेचना घटनास्थल का नक्शानजरी तैयार किया गया तथा गवाहान के बयानात लिये गये। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376, 504 व 506 भा०दं०सं० के अधीन आरोप पत्र प्रदर्श क–8, आरोप पत्र सं0 735/2020 दिनांकित 22.11.2020 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5. मामले में दिनांक 10.05.2022 को अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध धारा 376, 504 व 506 भा०दं०सं० के अधीन आरोप विरचित किये गये तथा आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये साक्षी पी0 डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा उमा, पी0 डब्लू0 2 कॉ0 1033 सन्नी कुमार, पी0 डब्लू0 3 निरीक्षक अब्ध बिहारी तथा पी०डब्लू० 4 रंगीले को परीक्षित कराया गया है।

7. अभियोजन साक्षीगण के मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत किये गये बयान का सारांश निम्नवत है–

8. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता उमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– "हाजिर अदालत अभियुक्त अभिषेक को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ। यह ग्राम नरायनपुर थाना पूरनपुर का रहने वाला है। उक्त अभिषेक से मेरी मुलाकात 18 जनवरी 2018 को हुई। अभिषेक ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। अभिषेक ने मुझसे नजदीकियां बढ़ा लीं और मुझसे शादी का झांसा देकर मेरे साथ मेरी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाये। मेरे हर

बार विरोध करने पर हर बार उसने यही कहा तुम डरती क्यों हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने शादी के लिए कहा तो टाल मटोल कर दी। जनवरी 2020 में मैंने फिर शादी के लिए दबाव बनाया तो उक्त अभिषेक आग–बबूला हो गया, और गन्दी–गन्दी गालियाँ देने लगा। और कहा आइन्दा शादी के लिए कहा तो तुझे जान से मार दूँगा। उक्त अभिषेक ने धोखा–धड़ी करके मेरी इज़्ज़त से खिलवाड़ किया। उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने मैं थाना पूरनपुर गई। रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर मैंने रजिस्टर्ड डाक से एक प्रा०पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा, परन्तु उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर मैंने एक प्रा०पत्र 156(3) दं0 प्र0 सं0 अपने वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में दिया, तब न्यायालय के आदेश से मेरा मुकदमा लिखाया गया। शामिल पत्रावली कागज सं० ख–12/2 लगायत ख–12/3 प्रा०पत्र 156(3) दं0 प्र0 सं0 को साक्षी को दिखाया गया, तो साक्षी ने कहा हाँ यही प्रा०पत्र मैंने न्यायालय में दिया था। प्रा०पत्र पर साक्षी ने हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिसपर **प्रदर्श–क 1** डाला गया। शामिल पत्रावली कागज सं० ख–12/5 प्रा० पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय पर भी साक्षी ने अपने हस्ताक्षर शिनाख्त किये जिसपर **प्रदर्श–क 2** डाला गया। शामिल पत्रावली कागज सं०– ख–12/6 जिस पर भारतीय डाक (रजिस्ट्री रसीद) चस्पा है, डाक रसीद पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। घटना वाली जगह मैंने दरोगाजी को दिखाई थी, तभी उन्होंने नक्शा नजरी बनाई थी। महिला पुलिस ने मेरा बयान लिया था, फिर मेरे मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान हुए थे। पूरनपुर स्वामी एजुकेसन कॉलेज के रास्ते पर उक्त अभिषेक की दुकाने बनी हैं। उसी में ले जाकर हर बार बलात्कार किया। मेरा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ था। न्यायालय के समक्ष एक बन्द लिफाफा खोला गया, जिसके अन्दर से बयान धारा 164 दं0 प्र0 सं0 निकला। बयान साक्षी को पढ़कर सुनाया गया, दिखाया गया, तो साक्षी ने बयान पर चस्पा अपना फोटो और हस्ताक्षर की शिनाख्त की, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। उम्र निर्धारण के लिए मेरा एक्स–रे हुआ था, मेडिकल हुआ था।"

9. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–2 कॉ0 1033 सन्नी कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– "मैं दि० 22.07.20 को थाना पूरनपुर में कार्यलेख पर तैनात था। इसी दिन मैंने प्रा०पत्र 156(3) दं0 प्र0 सं0 के आधार पर माननीय न्या० के आदेश दि० 09.07.20 के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक महोदय पूरनपुर के आदेश पर मु०अ०सं०– 485/2020 U/S– 376, 504, 506 भा0 दं0 सं0 बनाम अभिषेक कुमार कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द बोलकर टाईप कराई गई। चिक एफ0 आई0 आर0 कागज सं० क 4/1 लगायत क 4/3 को देखकर साक्षी ने कहा यह वही चिक एफ0 आई0 आर0 है, जो मैंने कम्प्यूटर पर बोल–बोलकर टाईप कराई थी। इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। इसपर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं। कागज सं० क–5 शामिल पत्रावली नकल रपट G.D. है जिसका नं० 27 है दिनांकित 22/7/20 समय 10:30 बजे अंकित है पर मु० अ० सं० 485/2020 U/S– 376, 504, 506 भा0 दं0 सं0 का हवाला अंकित है, इस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।"

10. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 3 निरीक्षक अब्ध बिहारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– "दिनांक 22/7/20 को मैं थाना पूरनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उसी दिन मु० अ० सं० 485/2020 धारा 376, 504, 506 भा० दं० सं० बनाम अभिषेक कुमार S/o महेन्द्र सिंह नि० ग्राम नरायनपुर थाना पूरनपुर पीलीभीत की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पूरनपुर के आदेश से प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा उक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण कर C.D. का पर्चा–1 उसी दिन किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान F.I.R. लेखक अंकित करते हुए मुकदमे की पीड़िता उमा देवी पुत्री हुल्लू प्रसाद नि० ग्राम शिवरिहिया बरगदिया थाना पूरनपुर के धारा 161 दं0 प्र0 सं0 के बयान महिला आरक्षी अर्चना शर्मा से अंकित कराकर इसके बयानों की

वीडियो रिकार्डिंग कराकर सी० डी० तैयार करायी गयी थी। तथा पीड़िता की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार किया था तथा पीड़िता के मेडिकल परीक्षण कराने हेतु चिट्ठी तैयार कर L.C. अर्चना शर्मा के साथ जिला अस्पताल महिला भेजा गया था। पत्रावली में संलग्न कागज सं० क–6 नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर है। जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। दिनांक 10–8–20 के C.D. का पर्चा नं० – 2 किता किया जिसमें पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर इसकी नकल सी० डी० पर की गयी। मेडिकल पैनल द्वारा पीड़िता की उम्र 25 वर्ष होना अंकित किया गया। दि० 25–8–20 के C.D. का पर्चा नं०– 3 किता किया जिसमें मेरे द्वारा पीड़िता को माननीय न्यायालय में दि० 14–8–20 को कराये गये धारा 164 दं0 प्र 0 सं0 के बयानों का अवलोकन किया गया और उसकी नकल सी० डी० में अंकित की गयी। दि० 12–9–20 को C.D. का पर्चा नं०–4 किता किया जिसमें मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी को पर्याप्त साक्ष्य के बावत कार्यवाही के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसमें अभियोजन अधिकारी द्वारा पीड़िता उमा देवी एवं अभियुक्त के मोबाइल का सी० डी० आर० प्राप्त करने हेतु सलाह दी गयी थी। जिसमें मेरे द्वारा घटना की समग्र साक्ष्य विश्लेषण एवं संकलन कर अंकित की गयी तथा अभियुक्त अभिषेक कुमार का बयान अंकित किये गये। दि० 27–9–20 को C.D. का पर्चा नं०–5 किता किया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी करते हुये बयान अंकित कर माननीय न्यायालय से रिमान्ड प्राप्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। दि० 25–10–20 को C.D. का पर्चा नं०–6 किता किया जिसमें मेरे द्वारा महिला आरक्षी के पीड़िता उमादेवी का पुनः मजीद बयान अंकित कराया गया। दि० 17–11–20 को C.D. का पर्चा नं०–7 किता किया जिसमें मेरे द्वारा अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह का धारा 53A दं0 प्र 0 सं0 के अनुपालन में DNA सैम्पलिंग मा० न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें A.P.O. महोदय द्वारा मुकदमे के केस डायरी के अवलोकन कर बताया गया कि पीड़िता उमा देवी द्वारा अपना आन्तरिक व वाह्य परीक्षण न कराने के कारण एंव बलात्कार के घटना के सम्बन्ध में कोई कपड़े आदि प्रस्तुत न किये जाने के कारण मुलजिम का DNA कराये जाने का औचित्य नहीं है इसलिए मुलजिम अभिषेक कुमार का DNA नहीं कराया गया। दि० 22–11–20 को C.D. का पर्चा नं०–8 किता किया जिसमें मेरे द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी नरायनपुर थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत के विरुद्ध जुर्म धारा 376, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र सं०–485/2020 दि० 22–11–20 को माननीय न्यायालय में प्रेषित कर विवेचना समाप्त की थी। आरोप पत्र– क 3/1 लगायत क 3/2 आरोप पत्र वही आरोप पत्र है जो मेरे द्वारा थाने के कर्मचारी से बोल–बोल कर टाइप कराया था इस पर मेरे व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर बने हैं, जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।"

11. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 रंगीले ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि– "हाजिर अदालत अभिषेक को मैं जानता हूँ। अभिषेक ग्राम नरायनपुर थाना पूरनपुर के रहने वाले है। यह महेन्द्र सिंह के बेटे है। महेन्द्र सिंह ने मेरे पड़ोस में प्लाट लिया था और उसमें दो दुकाने बनवायी थी। मैं हुल्लू प्रसाद को नहीं जानता हूँ। छुट्टु प्रसाद की लड़की उमा को भी मैं नहीं जानता हूँ। अभिषेक के उमा से नाजायज सम्बन्ध है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अभिषेक को उमा के घर पर आते जाते नहीं देखा। इनका आपस में यदि प्रेम प्रसंग है इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है।"

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षी एवं उनके द्वारा साबित किये गये अभियोजन प्रपत्रों का सार निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	साक्षी का नाम	सिद्ध पत्र	प्रदर्श सं0

1	पी0 डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा उमा	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0	प्रदर्श क–1
		पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित प्रार्थना पत्र	प्रदर्श क–2
		डाक रसीद	प्रदर्श क–3
		बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0 प्र 0 सं0	प्रदर्श क–4
2	पी0 डब्लू0 2 कॉ0 1033 सन्नी कुमार	चिक FIR	प्रदर्श क–5
		जी0 डी0	प्रदर्श क–6
3	पी0 डब्लू0 3 निरीक्षक अब्ध बिहारी	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–7
		आरोप पत्र	प्रदर्श क–8
4	पी0 डब्लू0 4 पी०डब्लू० 4 रंगीले	–	–

13. उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन ने अन्य कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया। तदोपरांत पत्रावली अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 हेतु नियत की गयी।

14. अभियोजन साक्ष्योपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनाँक 24.06.2020 को अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपनी निर्दोषिता का अभिवाक करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त के बड़े भाई की शादी नहीं हुई। वादिनी मुझसे शादी का दबाव बना रही है। मना करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।

15. न्यायालय द्वारा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से क्रमबद्ध तर्क अग्रसारित करते हुये न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त व पीड़िता की मुलाकात वर्ष 2018 में हुई। अभियुक्त ने पीड़िता को अपनी मीठी–मीठी बाते सुनाकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के विरूद्ध के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के विरोध करने पर अभियुक्त कहता था कि वह उससे शादी करेगा। जब पीड़िता ने लगातार शादी का दबाव बनाया तब उक्त अभियुक्त टाल–मटोल करने लगा। दिनांक 05.01.2020 को पीड़िता ने उक्त अभियुक्त से शादी करने के लिये कहा तो उक्त अभिषेक आग बबूला हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि आइन्दा दुबारा शादी करने के लिये कहा तो उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर घटना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को प्रकरण में दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

17. अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक में वर्णित किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही पत्रावली पर इस तथ्य की पुष्टि की बावत कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही कर सका है। वादिनी मुकदमा, पीड़िता व अन्य तथ्य के साक्षीगण के बयानों में काफी विरोधाभास है। परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए बलात्कार किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि सम्पूर्ण अभियोजन कहानी ही फर्जी व मनगढ़ंत है। इस प्रकार अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

18. उभय पक्ष द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों के आधार पर न्यायालय की राय में निम्नलिखित बिन्दुओं का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है–

1. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है?
2. क्या अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया?

निष्कर्ष

➔ **निस्तारण अवधारणीय बिन्दु सं0– 1** क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है?

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं दिया गया है। उक्त के विपरीत अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी मुकदमा द्वारा बिना कोई विलम्ब से दर्ज करायी गयी है।

20. पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की प्राथमिकी विलम्ब से अथवा समय के अधीन पंजीकृत कराये जाने के तथ्य पर विचार किया जाना समीचीन होगा। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दाण्डिक मामले की मेरूदण्ड होती है जो कि न केवल अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से अपितु अभियुक्त पक्ष के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। दाण्डिक मामले में घटना के तुरन्त बाद इसकी सूचना संबंधित थाने पर त्वरित रूप से देना चाहिए। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराये जाने में विलम्ब किया जाता है तो इस सम्बन्ध में पर्याप्त एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण पत्रावली पर आना चाहिए। प्रायः यह देखने में आया है कि जो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी जाती है, उसमें सोच विचार के बाद रंगा हुआ कथन तथा सजावट होने की प्रबल संभावना होती है और ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक को मासूम नहीं कहा जा सकता है। इसी आशय का सिद्धान्त माननीय न्यायालय द्वारा ***जितेन्द्र कृष्ण बनाम हिमांचल राज्य,*** [1990 **क्रिमिनल लॉ जरनल 143 (हि० प्र०)**] में प्रतिपादित किया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज कराये जाने के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा ***रामदास बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,*** [2007(2) **ए०सी०आर० 1456 (एस० सी०)**] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निःसन्देह यह सत्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में मात्र विलम्ब ही अभियोजन वाद के लिए आवश्यक रूप से घातक नहीं है, तथापि यह तथ्य कि रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज कराया गया था, ऐसा सुसंगत तथ्य है जिसके बारे में न्यायालय को संज्ञान लेना होगा। इस तथ्य पर अन्य तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों के प्रकाश में विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय का इस विषय पर समाधान हो सकता है, कि रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है कि नहीं। इस प्रकार साक्ष्य की

समग्रता के प्रकाश में तथ्य के न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब से अभियोजन का वाद प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होता है।

21. उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी/पीड़िता द्वारा घटना की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 समय 10.30 बजे पर दर्ज होना प्रकट है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर जी0 डी0 सं0 027 समय 10.30 बजे प्रदर्श क–6 से भी होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से थाने की दूरी 20 किमी0 होना प्रकट है।

22. पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी पुत्री छुट्टू प्रसाद निवासिनी ग्राम खिरकिया, बरगदिया, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत की मुलाकात अभिषेक पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना पूरनपुर से हुई। उक्त अभिषेक ने मीठी–मीठी बातें सुनाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रार्थिनी के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया। जब प्रार्थिनी विरोध करती थी तो वह उससे कहता था कि वह उससे शादी करेगा। जब प्रार्थिनी ने लगातार शादी का दबाव बनाया तब अभिषेक टालमटोल करने लगा। तब दिनांक 05.01.2020 को प्रार्थिनी ने उक्त अभिषेक से शादी करने के लिए कहा तो उक्त अभिषेक आग बबूला हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि आइन्दा दुबारा शादी करने के लिए कहा तो जान से मार देगा। तब प्रार्थिनी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसकी इज़्ज़त से खिलवाड़ किया गया है। इस घटना के संबंध में प्रार्थिनी उसी दिन थाना पूरनपुर अपनी रिपोर्ट लिखाने गयी थी परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तब प्रार्थिनी ने दिनांक 08.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत को दिया परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के पश्चात् पुलिस द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार करते हुये आदेश किया कि अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विवेचना की जाये। उक्त आदेश के अनुपालन में कायमी मुकदमा अपराध सं0 485/2020 धारा 376, 504, 506 अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 डाक पेड से प्राप्त हुआ।

23. वादिनी मुकदमा ने न्यायालय के समक्ष पी0 डब्लू0 1 के रूप में परीक्षित होकर अभियोजन कथानक की भांति ही बयान दिया है तथा इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर घटना की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया है परंतु अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसकी मुलाकात दिनांक 18.01.2018 को हुयी थी। उसने उससे बात करना शुरू कर दिया था। उसने उससे नजदीकीयां बढ़ा लीं और शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध स्थापित किये। उसके हर बार विरोध करने पर अभिषेक ने कहा कि तुम डरती क्यों हों, वह उससे शादी करेगा और शादी के लिए टाल–मटोल करता रहा। प्रार्थिनी ने पुनः जनवरी 2020 में शादी का दबाव बनाया तो अभिषेक आग बबूला हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देना लगा और कहा कि आइन्दा शादी के लिए कहा तो वह जान से मार देगा। उक्त अभिषेक ने धोखाधड़ी करके उसकी इज़्ज़त से खिलवाड़ किया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लिखित किया है कि इस घटना की रिपोर्ट लिखाने वह थाना पूरनपुर गयी थी, परंतु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। फिर उसने रजिस्टर्ड डाक से एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

तब उसने प्रार्थना पत्र 156(3) दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय में प्रेषित किया, जिस साक्षी द्वारा प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा जिरह में यह स्पष्ट किया गया है कि उसकी अभिषेक से मुलाकात दिनांक 18.01.2018 को पूरनपुर में खजूरिया बस स्टैण्ड पर हुयी थी। इस साक्षी द्वारा अपनी अग्रेतर जिरह में भी धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय में प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। परंतु जिस पर कोई तिथि व घटना स्थल का वर्णन नहीं है।

इस प्रकार उक्त साक्षी वादिनी मुकदमा एवं पीड़िता है। उसके द्वारा अपने साक्ष्य में यह उल्लिखित किया है कि उसकी मुलाकात अभिषेक से जनवरी, 2018 में हुई थी और अभिषेक ने उससे मीठी–मीठी बातें करके अपने जाल में फंसाकर भिन्न–भिन्न तिथियों पर शारीरिक संबंध बनाये। जब पीड़िता अभियुक्त को शारीरिक संबंध बनाने से रोकती थी तब वह यह विश्वास दिलाकर की वह उससे शादी करेगा, शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसके बाद जब पीड़िता द्वारा अभियुक्त से शादी करने के लिए कहा गया तो अभियुक्त ने शादी करने से इन्कार कर दिया तथा गालियां देते हुए धमकी दी कि यदि आइन्दा शादी करने की बात कही तो वह उसे जान से मार देगा।

24. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 2 कॉ0 क्लर्क सन्नी कुमार द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा सशपथ बयान किया कि वह दिनांक 22.07.20 को थाना पूरनपुर में कार्यलेख पर तैनात था। इसी दिन वादिनी मुकदमा के प्रा० पत्र 156(3) CrPC के आधार पर माननीय न्या० के आदेश दि० 09.07.20 के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक महोदय पूरनपुर के आदेश पर मु०अ०सं०– 485/2020 अन्तर्गत धारा– 376, 504, 506 भा0 दं0 सं0 बनाम अभिषेक कुमार कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द बोलकर टाईप कराई गई। चिक FIR कागज सं० क 4/1 लगायत क 4/3 को उसने प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट उल्लिखित किया है कि पीड़िता तहरीर लेकर थाने नहीं आयी थी। इंस्पेक्टर साहब के पेड में वह तहरीर थी। उसने उक्त मुकदमा की चिक 10.30 बजे काटी थी। एफ 0 आई 0 आर 0 लिखाने का आदेश प्रभारी निरीक्षक ने लिखित में दिया था परंतु पत्रावली में उक्त लिखित आदेश नहीं है।

इस प्रकार उक्त साक्षी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 इंस्पेक्टर साहब से प्राप्त करके उक्त मुकदमा पंजीकृत किया था।

25. इस प्रकार वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया है परंतु अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 के प्रकाश में उक्त मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा दिनांक 22.07.2020 को पंजीकृत किया गया।

26. इस साक्षी द्वारा अभियुक्त अभिषेक से मुलाकात दिनांक 18.01.2018 में हुयी थी और अभिषेक ने उससे बात करना शुरू कर दिया था और उसे शादी का झांसा देकर बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाये। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो अभियुक्त आग बबूला हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि यदि आइन्दा शादी को कहा तो जान से मार देगा।

27. पीड़िता द्वारा अभिषेक से जान पहचान 18.01.2018 को हुयी थी और सर्वप्रथम पीड़िता ने शादी करने के लिए कहा था लेकिन वह टालमटोल करता रहा। जनवरी 2020 में उसने पुनः शादी के लिए दबाव बनाया परंतु अभिषेक उसे गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और शादी की बात

करने पर वह उसे जान से मार देगा। इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के आधार पर अभिषेक द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करके उसकी इज़्ज़त से खिलवाड़ करने का उल्लेख किया है। वादिनी ने यह भी उल्लिखित किया है कि वह घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने भी गयी थी परंतु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पीड़िता द्वारा एक प्रार्थना पत्र डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक पीलीभीत को भी दिया गया था परंतु उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र 0 सं0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्य भी पीड़िता द्वारा अपनी जिरह में उल्लिखित किया गया है कि उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। 1, 2 व 3 जनवरी को वह गयी थी। एस 0 पी0 साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था और अदालत में भी प्रार्थना पत्र दिया था। तहरीर में उसने घटना की कोई तारीख अंकित नहीं की थी और न ही घटना स्थल बताया था। अपनी तहरीर में उसने घटनी की तिथि व घटनास्थल का कोई उल्लेख नहीं किया है।

28. प्रस्तुत प्रकरण ग्रामीण परिवेश का है तथा अभियुक्त की वादिनी मुकदमा से जान पहचान वर्ष 2018 से हो गयी थी तथा उसने उसके नजदीकीयां बनाकर शादी का झांसा देकर उसका यौन–शोषण कर रहा था। जब पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाया गया तो पहले तो वह टालमटोल करता रहा फिर वर्ष 2020 में जब पुनः पीड़िता द्वारा शादी की बात कही गयी तो अभियुक्त उसको गन्दी–गन्दी गालियां देते हुये शादी करने से इन्कार कर दिया तथा आइन्दा शादी की बात करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

29. प्रस्तुत मामले में अभियुक्त, वादिनी मुकदमा से पूर्व से परिचित था। जिस कारण वादिनी मुकदमा ने एफ 0 आई 0 आर 0 अज्ञात में न लिखाकर अभियुक्त के नाम से लिखायी है, तब यह भी नितान्त स्वाभाविक आचरण साक्षीगण का इस मामले हैं, क्योंकि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने जैसी घटना को सुनकर बदनामी के डर से व्यक्ति प्रथमतः सही तथ्यों को जानने का प्रयास करता है। उसी के अनुक्रम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बारे में सोचता है।

30. प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा स्वयं ही पीड़िता है, जिसे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने के उपरांत भी शादी करने से इन्कार कर देना तथा वादिनी मुकदमा को गन्दी–गन्दी गालियां देना व जान से मारने की धमकियां दी गयी, तब यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि वादिनी इस संबंध में घटना की कोई सही तिथि के बारे में जानकारी रखती हो। चूंकि वादिनी व उसके परिवारजन ग्रामीण परिवेश के हैं तथा विधि की बारीकियों की समझ नहीं है, जिस कारण से वह तुरंत एफ 0 आई 0 आर 0 लिखा देते। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में न्यायालय कोई देरी नहीं पाता है।

31. अतः इन परिस्थितियों में वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूमना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया है, बल्कि उसके द्वारा प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दिनांक 22.07.2020 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में न्यायालय कोई देरी नहीं पाती है।
Rajesh Kumar Dubey v/s State of UP. 2023(1) JIC244 (All) (LB) Sec 342, 323, 376–FIR–Delay in lodging –Effect of Offence of rape– Delay in lodging FIR in sexual offence cannot normally affect prosecution case but where there is inordinate delay, it cast a cloud of suspicion.

32. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज न कराया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। इस तरह से न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि यथाशीघ्र थाने पर दर्ज करायी गयी थी, इस तथ्य को अभियोजन के द्वारा सिद्ध किया गया है। तदनुसार अवधार्य बिन्दु संख्या 1 निष्कर्षित है।

➔ **<u>निस्तारण अवधारणीय बिन्दु सं0– 2–</u>** क्या अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया गया?

33. जहां तक अभियुक्त द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किये जाने का प्रश्न है, तो इस मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य पीड़िता व घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों, यदि कोई हो, के द्वारा ही किया जा सकता है।

34. अभियोजन कथानक तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0 प्र0 सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी पुत्री छुट्टू प्रसाद निवासिनी ग्राम खिरकिया, बरगदिया, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत की मुलाकात अभिषेक पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना पूरनपुर से हुई। उक्त अभिषेक ने मीठी–मीठी बातें सुनाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रार्थिनी के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध बलात्कार किया। जब प्रार्थिनी विरोध करती थी तो वह उससे कहता था कि वह उससे शादी करेगा। जब प्रार्थिनी ने लगातार शादी का दबाव बनाया तब अभिषेक टालमटोल करने लगा। तब दिनांक 05.01.2020 को प्रार्थिनी ने उक्त अभिषेक से शादी करने के लिए कहा तो उक्त अभिषेक आग बबूला हो गया और गन्दी–गन्दी गालियां देने लगा और कहा कि आइन्दा दुबारा शादी करने के लिए कहा तो जान से मार देगा।

35. इस प्रकार उपरोक्त साक्षी जो स्वयं ही घटना की वादिनी मुकदमा व पीड़ित है, ने बताया है कि मुल्जिम ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे परंतु अब शादी के लिए टाल–मटोल कर रहा है और जब पुनः शादी का दबाव बनाया तो आग बबूला होकर शादी के लिए इन्कार कर दिया और गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस साक्षी द्वारा अपनी तहरीर में घटनास्थल का कोई उल्लेख नहीं किया है।

36. पीड़िता ने अपने 161 दं0 प्र0 सं0 के बयान में अपनी उम्र 24 वर्ष बतायी है तथा यह उल्लिखित किया है कि वह वर्ष 2018 में अपने पापा की दवाई लेने पीलीभीत जाती थी। जहां उसकी मुलाकात अभिषेक पुत्र महेन्द्र सिंह नि० ग्रा० नरायनपुर थान पूरनपुर पीलीभीत से हुई और अभिषेक कुमार अपनी पढाई करने पीलीभीत जाते थे। उसी दौरान उसने मुझे मो0 न0 दिया और मुझसे मीठी–मीठी बाते करके उससे नजदिकिया बढाने लगा और कहने लगा वे जल्दी ही शादी कर लेंगे और उसे बहला फुसलाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसे पूरनपुर स्वामी ऐजुकेशन के पीछे अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब वह बार बार शादी के लिए कहती तो कहता कर लेंगे और ऐसा कहकर बार बार उसके साथ गन्दा काम करता रहा। फिर शादी के लिए कहा तो उसे गन्दी गन्दी गालिया देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा।

37. इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0 प्र0 सं0 दिनांकित 14.08.2020 में यह उल्लिखित किया है कि उसकी मुलाकात पूरनपुर में हुई थी। वह उससे

फोन पर बात करने लगी, जिससे उसकी नजदीकियां बढ़ गयीं तथा अभिषेक ने शादी का वादा कर उसकी मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाये।

38. न्यायालय में भी परीक्षित होने पर पीड़िता ने अपने पूर्व के धारा 161 व 164 दं0 प्र 0 सं0 बयानों के भांति ही बयान अंकित कराये हैं तथा यह अंकित करायी है कि उसने घटना वाली तिथि दरोगा जी को दिखायी थी तब ही उन्होंने नक्शा नजरी बनायी थी। अग्रेतर जिरह में कहा है कि वह पूरनपुर स्वामी एजुकेशन कॉलेज के रास्ते पर अभिषेक की दुकानें बनी हैं, उसी में ले जाकर वह हर बार शारीरिक संबंध बनाता था। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह उल्लिखित किया है कि उसकी मुलाकात अभिषेक से दिनांक 18.01.2018 को पूरनपुर खजूरिया बस स्टैण्ड पर हुई थी, जो उसने दरोगा जी को बतायी थी। अभिषेक पीलीभीत में पढ़ाई करता था, यह बात भी उसने दरोगा जी को बतायी थी लेकिन कोचीन की जगह नहीं बतायी थी। वह अपने पिता जी की दवाई लेने आती थी। वह जगह भी दरोगा जी को दिखाई थी। इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष किये गये बयानों में यह उल्लिखित किया है कि उसने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 दं0 प्र 0 सं0 में घटनास्थल का कोई उल्लेख नहीं किया है। परंतु आगे अपने साक्ष्य में घटना स्थल के संबंध में यह उल्लिखित किया है कि स्वामी एजुकेशनल कॉलेज बण्डा रोड पर है और उसी के पीछे अभिषेक का मकान है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपने बयानों में स्वामी एजुकेशनल कॉलेज के पीछे बने कमरों को घटना स्थल बताया है। इस साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में पूर्व में कॉलेज के पीछे मुल्जिम का घर बताया है तथा मुख्य परीक्षा में अभिषेक की दुकानें बतायी हैं तथा जिरह में अभियुक्त का मकान बताया है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा घटनास्थल के संबंध में अभियुक्त की बनी दुकानें व अभियुक्त के मकान को घटना वाली जगह बतायी है, जिसे उसने दरोगा जी को दिखाया था। पत्रावली पर उपलब्ध घटनास्थल के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा उत्तर से दक्षिण में पूरनपुर रोड से बण्डा की तरफ जाने का रास्ता दर्शाया है तथा X चिन्ह्न से अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार कारित करने के घटनास्थल को चिन्हित किया है। जहां पर अभियुक्त की खाली व बन्द दुकानें बनी हैं। इस प्रकार पीड़िता द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभिषेक की बनी दुकानों पर बार–बार बलात्कार किये जाने का उल्लेख किया है, परंतु अपनी तहरीर में घटनास्थल का उल्लेख नहीं किया है और न ही धारा 164 दं0 प्र 0 सं0 के बयानों में घटनास्थल का उल्लेख किया है। परंतु अपनी जिरह में घटनास्थल को मुल्जिम का घर बताया है, जो स्वामी एजुकेश्नल स्कूल के पीछे स्थित है।

39. इस प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0 3 अवध बिहारी द्वारा विवेचना की गयी तथा अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लिखित किया है कि उन्होंने पीड़िता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था और नक्शा–नजरी बनाया था, जिसे प्रदर्श क–7 से साबित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में यह उल्लिखित किया है कि पीड़िता ने उसे यह नहीं बताया था कि किन गवाहों के सामने अभिषेक ने गाली–गलौच की व जान से मारने की धमकी दी तथा यह भी उल्लिखित किया है कि पीड़िता ने अपने बयान में यह बताया था कि मुल्जिम स्वामी एजुकेशन के पीछे अपने घर में ले जाकर बलात्कार किया था। घटना स्थल का नक्शा नजरी ग्राम रम्पुरा कपूरपुर का है। उसमें दो खाली बन्द दुकानें अभिषेक की दिखायी गयीं हैं। यह पर अभिषेक का कोई घर नहीं है। यह भी उल्लिखित किया है कि स्वामी एजुकेश्नल से रम्पुरा कपूरपुर की दूरी कम–से–कम 02 किमी0 होगी तथा अभिषेक का घर नरायनपुर में है। नक्शे में दिखायी अभिषेक की दुकानों के पड़ोस में फिरोज खान का मकान है। इस साक्षी को उक्त मामले का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं मिल सका।

40. इस प्रकार विवेचक द्वारा पीड़िता की निशानदेही पर बनाया गया नक्शा नजरी स्वयं पीड़िता के बयानों से मेल नहीं खाता है, क्योंकि पीड़िता द्वारा विवेचक को बताया गया घटनास्थल ग्राम रम्पुरा कपूरपुर का है, जिसमें स्वामी एजुकेशनल कॉलेज के पीछे दुकानें अभिषेक की बनी हैं पंरतु पीड़िता के बयान में एकरूपता न होने के कारण पीड़िता ने अभिषेक के मकान में भी बलात्कार होने का उल्लेख किया है। अभियुक्त का मकान नरायनपुर में बना है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित दोनों ही साक्षियों के अनुसार बताये गये घटनास्थल संदिग्ध हो जाते हैं।

41. इस साक्षी द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए लेडी कॉ0 अर्चना के साथ जिला अस्पताल भेजा गया। पीड़िता का आयु परीक्षण कराया गया, जिसमें मेडिकल पैनल के अनुसार पीड़िता की उम्र 25 वर्ष पायी गयी। परंतु पीड़िता द्वारा अपना स्वयं का आन्तरिक व वाह्य परीक्षण कराने से इन्कार किया। चूंकि पीड़िता द्वारा अपना आन्तरिक व बाह्य परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया गया जिस कारण से विवेचक ने भी पीड़िता के कोई कपड़े आदि एकत्रित नहीं किये।

42. अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0 डब्लू0 4 रंगीले ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि हाजिर अदालत अभिषेक को वह जानता है। अभिषेक ग्राम नरायनपुर थाना पूरनपुर के रहने वाले है। यह महेन्द्र सिंह के बेटे है। महेन्द्र सिंह ने उसके पड़ोस में प्लाट लिया था और उसमें दो दुकाने बनवायी थी। वह छुट्टु प्रसाद को नहीं जानता हूँ। छुट्टु प्रसाद की लड़की उमा को भी वह नहीं जानता है। अभिषेक के उमा से नाजायज सम्बन्ध है, इस बारे में वह कुछ नहीं जानता। उसने अभिषेक को उमा के घर पर आते जाते नहीं देखा। इनका आपस में यदि प्रेम प्रसंग है, इसकी भी जानकारी उसे नहीं है।

43. इस प्रकार अभियोजन के उपरोक्त साक्षी पीड़िता व पीड़िता के पिता को नहीं जानता है परंतु अभियुक्त को जानता है तथा अभियुक्त के पिता जी महेन्द्र सिंह का बेटा है और महेन्द्र सिंह ने एक प्लॉट लिया था, जिसमें दो दुकानें बनवायी थीं, जो उसके पड़ोस में है। वह अभिषेक व पीड़िता के संबंध के बारे में कुछ नहीं जानता है।

44. उपरोक्त समग्र मौखिक साक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य को एक साथ जब न्यायालय देखता है तो अभियोजन यह स्पष्टता लिये हुए है कि अभियुक्त अभिषेक द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाये जाने तथा पीड़िता द्वारा शादी करने के लिए टालमटोल करता रहा तथा पुनः दबाव बनाने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियोजन द्वारा परीक्षणीय साक्षियों के साक्ष्य से अभियुक्त अभिषेक द्वारा मारपीट, गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी तथा पीड़िता के बलात्कार के अपराध को साबित करने में विफल रहा। सभी साक्षियों के साक्ष्य में एकरूपता से यह तथ्य प्रकट होता है कि पीड़िता व साक्षीगण के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

45. अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के साथ हुए बलात्कार के अपराध को साबित करने हेतु पीड़िता ने अपना आन्तरिक व बाह्य परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया और न ही घटना में पहने हुए कपड़े पुलिस को दिये। उक्त कपड़े यदि पीड़िता पुलिस को कब्जे में दे देती तो बलात्कार के तथ्य को साबित करने में पुलिस को सहायता मिलती।

46. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्षी घटना को साबित करने हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मामला साबित होता हो और अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपना केस युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। इस सम्बन्ध में **धर्मेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य, 2010 (70) एस०सी०सी० 817 इलाहाबाद** के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विचारण में अभियुक्त का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पर होता है। **विजयी बनाम उ०प्र० राज्य, 1990 सी0 आर 0 एल 0 जे0 1510 सुप्रीम कोर्ट** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक मामलों में अपराध को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है जब तक अभियोजन पक्ष अभियोजन केस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न करता है जब तक अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारण की जायेगी। **के० एम० नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए 0 आई 0 आर 0 1962 सुप्रीम कोर्ट 605** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अपराधिक मामलों में अपराध को साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे दोष साबित नहीं कर देता है, ऐसे कमजोर व लचीले साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जायेगी।

47. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **दिगम्बर वैष्णव एवं एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, [2019 (2) सी0 सी0 एस 0 सी0 1047 (एस 0 सी)]** के मामले में पैरा नं0–15 में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों में से एक अप्रत्याख्यानित रूप से यही है कि सबूत का भार सुस्पष्ट रूप से अभियोजन पर ही होता है और यह कि सामान्य भार कभी भी अन्तरित नहीं होता। अनुमानों एवं अटकलबाजियों या सन्देहों के आधार पर, वह चाहे जितना घोर हो, कोई दोषसिद्ध नहीं हो सकती। ठोस संदिग्धता, ठोस सहआनुशंगिकता एवं घोर सन्देह, विधिक सबूत का स्थान नहीं ले सकते। अभियोजन भार का निर्वहन ठोस संदिग्धता एवं अभियुक्त को अपराध में आलिप्त करने के लिए अत्यधिक संदेहास्पद कारकों की विद्यमानता का संदर्भ देकर नहीं किया जा सकता और न ही प्रतिरक्षा का मिथ्यापन उस सबूत का स्थान ले सकता है, जिसे अभियोजन को सफल होने के लिए साबित करना है, यद्यपि सर्वोत्तम ढंग से प्रतिरक्षा द्वारा अंगीकार मिथ्या अभिवाक पर अतिरिक्त परिस्थिति होने के रूप में विचार किया जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियाँ अत्रुटिपूर्ण ढंग से दोष की ओर इंगित करती हो।

48. इस प्रकार मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त अभिषेक के विरुद्ध धारा 376, 504 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है तथा अभियुक्त उपरोक्त आरोपित आरोपों में संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

49. सत्र वाद सं०–661/2021, राज्य बनाम अभिषेक कुमार, अपराध सं०–485/2020, थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के प्रकरण में अभियुक्त अभिषेक को विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 376, 504 व 506 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

50. अभियुक्त उपरोक्त मामले में जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त कर, जामिनानों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

51. अभियुक्त द्वारा (75,000/–) पचहत्तर हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण अन्तर्गत धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय अवधि के लिये अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

बाद आवश्यक अनुपालन पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 08.07.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04,
पीलीभीत।
J.O.Code NO–U.P.6333

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 08.07.2026

(शिखा प्रधान)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं04,
पीलीभीत।
J.O.Code NO–U.P.6333